S.D.O-Ist JPR

अटल बिहारी V/S आनन्द बिहारी

T.I 28/11

02/8/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण-अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगणों की ओर से वाद / अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र स्वीकार किया गया है जिसमें अप्रार्थी-2 की हद तक प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अबेट होना स्वीकार होने पर / स्वीकारोक्ति पर वाद विड्रा / खारिज की अनुमति प्रदान की गई है, ऐसे में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र (T.I) वादपत्र का भाग होने पर प्रार्थीगणों / वादीगणों को विड्रा की अनुमति दिये जाने के कारण टी०आई० प्रार्थना-पत्र खारिज हो। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से खारिज हो निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner